आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 03/2020–21

राज्य द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज

–बनाम–

मो0 कलीम एवं अन्य

–: आदेश :–

28.07.2023

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 3183/रा0, दिनांक 24.09.2020 से मुफसिल थाना कांड सं0– 109/2020, दिनांक– 16.07.2020 धारा– 379/411 भा0द0वि0 एवं 4/54 झा0 माईन्स एण्ड मिनिरल एक्ट 2004 एवं 07/2009 के तहत जप्त ट्रैक्टर संख्या– BR10B-6226 एवं उसपर लोड बालू सहित राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः– कांड के वादी विभूति कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक– 01/कैम्प मुफसिल, दिनांक– 03.02.2020 के आधार पर दर्ज किया गया। इस कांड के वादी थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ दिनांक– 15.07.2020 को समय करीब 12:30 बजे महादेवगंज गंगा प्रसाद एवं अन्य क्षेत्रों में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु औचक जाँच एवं छापेमारी किये। इसी क्रम में मुस्लिम टोला महादेवगंज दाउद मंडल की परती जमीन पर अवैध तरीके से उत्खनित बालू का भंडारण किया हुआ तथा ट्रक्टर सं0– BR10B-6226 पर बालू लोड किया हुआ पाया गया। पूछताछ से पता चला कि यह बालू प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक्टर सं0– BR10B-6226 के चालक (1) मो0 कलीम, पे0– मो0 ईसाक, सा0– महादेवगंज, थाना– मुफसिल, जिला– साहेबगंज एवं (2) मो0 मुजलिम, पे0– सरगंज, सा0– गंगा प्रसाद, थाना– मुफसिल, जिला– साहेबगंज द्वारा भंडारित किया गया है।

नोटिस तामिला प्राप्त। विपक्षी उपस्थित। कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी को लगातार अनुपस्थित रहने एवं माननीय NGT के आदेश के अनुपालन में दण्ड की राशि जमा नहीं किये जाने के फलस्वरूप अवैध खनन के परिवहन में प्रयुक्त मानते हुए राजसात की कार्रवाई करने हेतु निर्णय लिया गया।

अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 3183/रा0, दिनांक 24.09.2023 से मुफसिल थाना कांड सं0– 109/2020, दिनांक– 16.07.2020 धारा– 379/411 भा0द0वि0 एवं 4/54 झा0 माईन्स एण्ड मिनिरल एक्ट 2004 एवं 07/2009 के तहत

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जप्त ट्रैक्टर संख्या– BR10B-6226 एवं उसपर बालू लोड को अवैध परिवहन कार्य में संलिप्त रहने के कारण राजसात करना उचित प्रतीत होता है।

Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका–19 के

अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM_{10} Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII). Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles"

1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के कण्डिका–19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.
2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक–थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
3	

अतः पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 3183/रा0, दिनांक 24.09.2023 से मुफसिल थाना कांड सं0– 109/2020, दिनांक– 16.07.2020 धारा– 379/411 भा0द0वि0 एवं 4/54 झा0 माईन्स एण्ड मिनिरल एक्ट 2004 एवं 07/2009 के तहत जप्त ट्रक्टर संख्या– BR10B-6226 को **The Jharkhand Minerals (Prevention ofillegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017** का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, मुफसिल के उपस्थिति में उक्त ट्रैक्टर वाहन संख्या–BR10B-6226 नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत, साहेबगंज में जमा करें।

ज्ञापांक 501/जि०न० 09.10.2023

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, मुफिसल को भेजें।

पारित आदेश से विपक्षी को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 16:14:10 +05:30
Location: 192.168.0.141